अध्याय - VI

खनन प्राप्तियाँ

अध्याय-VI: खनन प्राप्तियाँ

6.1 कर प्रशासन

राज्य में खनन से प्राप्तियों का आरोपण एवं संग्रहण खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, खनिज समानुदान नियमावली, 1960 तथा झारखण्ड लघु खनिज समानुदान (झा.ल.ख.स.) नियमावली 2004 के द्वारा शासित होता है।

अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन के लिए सरकार के स्तर पर, सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग तथा विभागीय स्तर पर, निदेशक खान उत्तरदायी हैं। मुख्यालय स्तर पर खान निदेशक को एक अपर खान निदेशक (अ.खा.नि.) और एक उप निदेशक खान (उ.नि.खा.) द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। राज्य को छः अंचलों[1] में विभक्त किया गया है, प्रत्येक एक उ.नि.खा. के प्रभार में होते है। अंचल को आगे 24 जिला खनन कार्यालयों[2] में विभक्त किया गया है, प्रत्येक के प्रभारी एक जिला खनन पदाधिकारी (जि.ख.प.)/सहायक खनन पदाधिकारी (स.ख.प.) होते हैं। जि.ख.प./स.ख.प. स्वामिस्व एवं अन्य खनन बकाये के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी होते हैं। उन्हें खान निरीक्षकों (खा.नि.) द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। जि.ख.प. तथा खा.नि. खनन पट्टा क्षेत्रों के निरीक्षण और खनिजों के उत्पादन एवं प्रेषण की समीक्षा के लिए प्राधिकृत होते हैं।

6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2014-15 के दौरान खान एवं भूतत्व विभाग के 50 इकाइयों में से ` 2,775.32 करोड़ के राजस्व संग्रहण वाले 18 इकाइयों के अभिलेखों के नमूना जाँच से 298 मामलों में सन्निहित ` 407.42 करोड़ के स्वामिस्व, नियत लगान, दण्ड एवं अन्य अनियमितताएँ उद्घटित हुआ जैसा कि **तालिका-6.2** में उल्लिखित है।

तालिका - 6.2

(` करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ग	मामलों की संख्या	राशि
1	स्वामिस्व का नहीं/कम आरोपण	38	361.19
2	कोयले की निम्न श्रेणीकरण के कारण स्वामिस्व का अल्पारोपण	5	27.75
3	नीलामवाद प्रक्रिया का असंस्थापन	1	0.96
4	अन्य मामले	254	17.52
कुल		**298**	**407.42**

[1] चाईबासा, डाल्टनगंज, धनबाद, दुमका, हजारीबाग एवं राँची।

[2] बोकारो, चतरा, चाईबासा, डाल्टनगंज, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़, राँची, साहिबगंज, सरायकेला-खरसाँवा एवं सिमडेगा।

वर्ष 2014-15 के दौरान हमारे द्वारा इंगित किये गये 68 मामलों में ` 2.20 करोड़ के कम निर्धारण एवं अन्य खामियों को विभाग ने स्वीकार किया। विभाग ने सात मामले में ` 13 लाख की वसूली की।

इस अध्याय में ` 367.20 करोड़ के वसूली योग्य वित्तीय प्रभाव के दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले की चर्चा की गयी है।

6.3 अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होना

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (खा.ख.वि.वि.) अधिनियम, 1957 तथा खनिज समानुदान (ख.स.) नियमावली, 1960, पट्टा क्षेत्र से हटाए गये एवं उपभोग किये गये खनिज की मात्रा पर निर्धारित दर से देय तिथि के भीतर स्वामिस्व के भुगतान का प्रावधान करता है।

खान एवं भूतत्व विभाग ने कंडिका 6.4 से 6.10 में उल्लिखित मामलों में स्वामिस्व के सही दर के अनुप्रयोग, मासिक विवरणियों आदि की जाँच एवं सत्यापन संबंधी अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ` 367.20 करोड़ का नहीं/कम आरोपण/उगाही हुआ।

6.4 गलत दर के अनुप्रयोग के कारण स्वामिस्व का कम आरोपण

स्वामिस्व के सही दर के अनुप्रयोग संबंधी अधिनियमों/नियमों एवं कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के प्रावधानों को पालन नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ` 338.59 करोड़ के स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ।

6.4.1 हमने चार खनन कार्यालयों[3] में कोयले के 139 पट्टों की मासिक विवरणियों की नमूना जाँच (अक्टूबर 2014 एवं जनवरी 2015 के बीच) की और पाया कि 23 पट्टेधारियों ने 2009-10 से 2013-14 की अवधि के अंतर्गत 136.66 लाख एम.टी. कोयले का प्रेषण किया। इस प्रेषण पर ` 644.94 करोड़ का स्वामिस्व जो कि कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) द्वारा अधिसूचित रन ऑफ माइन्स (आर.ओ.एम.) कोयले की मूलगर्त-शीर्ष मूल्य के आधार पर तथा टेलिंग्स कोयले के बिक्री मूल्य के आधार आरोपित किया जाना था, के बदले ` 308.79 करोड़ के स्वामिस्व का आरोपण किया गया। संबंधित जि.ख.प./स.ख.प. उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत स्वामिस्व की गणना करने में विफल हुए। इसके परिणामस्वरूप गलत दर के अनुप्रयोग के कारण ` 336.15 करोड़ के स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ जैसा कि **तालिका - 6.4.1** में वर्णित है।

[3] धनबाद, हजारीबाग, बोकारो तथा रामगढ़।

तालिका - 6.4.1

(` **लाख में**)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम पट्टों की संख्या	खनिज का नाम अवधि	प्रेषित मात्रा (लाख मी.ट. में)	आरोप्य स्वामिस्व आरोपित स्वामिस्व	कम आरोपण	टिप्पणियाँ
1	बोकारो 2	कोयला 2013-14	2.04	516.72 384.47	132.25	स्वामिस्व की गणना सी.आई.एल. द्वारा जनवरी 2012 एवं मई 2013 के बीच अधिसूचित आर.ओ.एम. कोयले के मूलगर्त-शीर्ष कीमत के आधार पर नहीं की गई थी।
2	धनबाद 18	कोयला 2013-14	13.87	4,007.64 3,239.79	767.85	
3	हजारीबाग 2	कोयला 2013-14	4.01	739.34 548.14	191.20	
4	रामगढ 1	कोयला 2009-10 से 2013-14	116.74	59,230.52 26,706.93	32,523.59	स्वामिस्व की गणना न तो सी.आई.एल. द्वारा दिसम्बर 2007 एवं मई 2013 के बीच अधिसूचित स्टील ग्रेड-I कोयले के मूलगर्त-शीर्ष कीमत के आधार पर न ही टेलिंग्स कोयले के बिक्री मूल्य के आधार पर की गई थी।
कुल	**23**		**136.66**	**64,494.22 30,879.33**	**33,614.89**	

हमारे द्वारा मामले अक्टूबर 2014 एवं जनवरी 2015 के बीच इंगित किये जाने के बाद जि.ख.प. ने कहा कि मामले की जाँचोपरान्त कार्रवाई की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

6.4.2 हमने जिला खनन कार्यालय, चाईबासा में लौह अयस्क के 10 पट्टों की मासिक विवरणियों की नमूना जाँच की (मार्च 2015) और पाया कि एक पट्टेधारी ने वर्ष 2013-14 के दौरान 14.29 लाख एम.टी. लौह अयस्क का प्रेषण किया, जिस पर ख.स. नियमावली, 1960 के नियम 64 डी(i) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) द्वारा प्रकाशित लौह अयस्क के ग्रेडवार अखिल भारतीय औसत मासिक विक्रय मूल्य, जब आई.बी.एम. द्वारा किसी राज्य के लिए किसी विशिष्ट ग्रेड के खनिज का औसत मूल्य प्रकाशित नहीं किया गया हो, के आधार पर आरोप्य स्वामिस्व ` 44.07 करोड़ के बदले ` 42.34 करोड़ के स्वामिस्व का आरोपण किया गया। जि.ख.प. ने सही दरों के अनुप्रयोग के लिये नियमों के प्रावधानों को लागू नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ` 1.73 करोड़ के स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ।

मामले हमारे द्वारा इंगित (मार्च 2015) किये जाने के बाद, जि.ख.प. ने कहा कि मामले के सत्यापन के बाद कार्रवाई की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

6.4.3 हमने जिला खनन कार्यालयों, गुमला एवं लोहरदगा में बॉक्साइट के 41 पट्टों की मासिक विवरणियों की नमूना जाँच की (मार्च 2015) और पाया कि 10 पट्टेधारियों ने 2013-14 के दौरान 10.60 लाख एम.टी. बॉक्साइट का प्रेषण किया, जिस पर खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 के द्वितीय अनुसूची एवं ख.स. नियमावली, 1960 के नियम 64 डी(iv) के प्रावधानों में यथा निर्धारित लंदन मेटल एक्सचेंज प्राइस के आधार पर आरोप्य स्वामिस्व ` 12 करोड़ के बदले ` 11.29 करोड़ के स्वामिस्व का आरोपण किया गया। जि.ख.प. ने सही दरों के अनुप्रयोग के लिये नियमों के प्रावधानों को लागू नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ` 70.56 लाख के स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ जैसा कि **तालिका - 6.4.3** में वर्णित है।

तालिका - 6.4.3

(` लाख में)

क्र. सं.	**कार्यालय का नाम पट्टों की संख्या**	**खनिज का नाम अवधि**	**प्रेषित मात्रा (लाख एम.टी. में)**	**आरोप्य स्वामिस्व आरोपित स्वामिस्व**	**कम आरोपण**	**टिप्पणी**
1	गुमला 2	बॉक्साइट 2013-14	0.42	45.99 45.30	0.69	स्वामिस्व की गणना खनन योजना के अनुसार अल्युमिना एवं अल्युमिनियम धातु निष्कर्षण उद्योग में प्रेषित खनिज में अंतर्निहित अल्युमिना की मात्रा के आधार पर नहीं की गई थी।
2	लोहरदगा 8	बॉक्साइट 2013-14	10.18	1,153.84 1,083.97	69.87	
कुल	**10**		**10.60**	**1,199.83 1,129.27**	**70.56**	

हमारे द्वारा (मार्च 2015) मामले को इंगित किये जाने के बाद, जि.ख.प. ने कहा कि मामले के सत्यापन के बाद कार्रवाई की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हमने मामले को जून 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

सदृश मामले 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका 7.7 में उठाए गए थे जहाँ सरकार ने सूचित किया कि 32.08 करोड़ के लिए माँग का सृजन किया गया है, जिसमें से ` 4.23 करोड़ की वसूली कर ली गयी है। यद्यपि, त्रुटियों/अनियमितताओं की प्रकृति अभी भी जारी है जो राजस्व के आवर्ती रिसाव को रोकने में विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अप्रभावशीलता को दर्शाती है।

6.5 कोयले की श्रेणी को निम्न करने के कारण स्वामिस्व का अल्पारोपण

कोलियरी कन्ट्रोल नियमावली, 2004 के प्रावधानों के अन्तर्गत घोषित श्रेणियों का मासिक विवरणियों में दर्शाये गए श्रेणियों से असत्यापन के परिणामस्वरूप ` 27.60 करोड़ के स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ।

हमने चार खनन कार्यालय[4], में 115 कोलियरियों द्वारा समर्पित मासिक विवरणियों के साथ माँग, संग्रहण एवं बकाया पंजी (डी.सी.बी.) की नमूना जाँच की (नवम्बर 2014 एवं मार्च 2015 के बीच) और पाया कि 2013-14 में चार कोलियरियों[5] ने कोलियरी कन्ट्रोल नियमावली, 2004 के नियम 4(2) के प्रावधानों के अंतर्गत घोषित श्रेणी की तुलना में अपने मासिक विवरणियों में 50.55 लाख एम.टी. कोयले की श्रेणी को निम्नश्रेणीकृत किया। कोयले की श्रेणियों का कोलियरियों द्वारा घोषित श्रेणी से सत्यापन करने में जि.ख.प. असावधान थे और मासिक विवरणियों में दर्शाये गए श्रेणियों पर स्वामिस्व का आरोपण किया। इसके परिणामस्वरूप ` 27.60 करोड़ के स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ जैसा कि **तालिका - 6.5** में वर्णित है।

तालिका - 6.5

(` लाख में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम पट्टों की संख्या	अवधि	प्रेषित मात्रा (लाख एम.टी. में)	प्रेषित श्रेणी निम्नश्रेणीकृत श्रेणी	आरोप्य स्वामिस्व आरोपित स्वामिस्व	कम आरोपण
1	धनबाद 1	2013-14	1.77	एस.टी.-II(डी.एफ.) डब्ल्यू-II	1,012.78 637.95	374.83
2	पाकुड 1	2013-14	48.64	जी-8 जी-9, जी-10, जी-11 एवं जी-12	8,419.65 6,053.93	2,365.72
3	रामगढ 1	2013-14	0.10	जी-3 जी-5	53.83 38.75	15.08
4	राँची 1	2013-14	0.04	जी-4 जी-5	21.64 17.36	4.28
कुल	**4**		**50.55**		**9,507.90 6,747.99**	**2,759.91**

हमारे द्वारा नवम्बर 2014 एवं मार्च 2015 के बीच मामले को इंगित किये जाने के बाद, जि.ख.प. ने कहा कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हमने मामले को जून 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

---

[4] धनबाद, पाकुड़, रामगढ़ तथा राँची।

[5] भौरा (एस) 3 पिट ओ.सी.पी., पैनेम कोल माइन्स, सिरका एवं चुरी।

6.6 स्वामिस्व का अल्पारोपण

खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 एवं ख.स. नियमावली, 1960 के प्रावधानों के अनुसार पट्टाक्षेत्र से हटाए गये खनिज पर स्वामिस्व के अनारोपण के परिणामस्वरूप ` 38.34 लाख के स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ।

हमने जिला खनन कार्यालय, जमशेदपुर में वृहद खनिज के तीन पट्टेधारियों के पट्टा अभिलेखों की नमूना जाँच की (फरवरी 2015) और पाया कि 2012-13 एवं 2013-14 के बीच एक पट्टेधारी ने पट्टाक्षेत्र से 8.28 लाख एम.टी. ताम्र अयस्क हटाया था। यद्यपि जि.ख.प. ने खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 की धारा 9 के अनुसार पट्टाक्षेत्र से हटाए गये 8.28 लाख एम.टी. ताम्र अयस्क के बदले पट्टाक्षेत्र से बाहर अवस्थित संकेद्रक संयंत्र से प्रेषित 7.67 लाख एम.टी. प्रसंस्करण किये गये ताम्र पर ` 13.23 करोड़ के स्वामिस्व का आरोपण किया। अधिनियम के द्वितीय अनुसूची एवं ख.स. नियमावली, 64 डी के प्रावधानों के अंतर्गत ताम्र अयस्क के मामले में, लंदन मेटल एक्सचेंज प्राइस के आधार पर स्वामिस्व आरोप्य था। इस प्रकार, 8.28 लाख एम.टी. ताम्र अयस्क पर ` 13.62 करोड़ का स्वामिस्व आरोप्य था जिसका परिणाम ` 38.34 लाख के स्वामिस्व के अल्पारोपण में हुआ।

हमारे द्वारा फरवरी 2015 में मामले को इंगित किये जाने के बाद, स.ख.प. ने कहा कि मामले की जाँच की जायेगी। तदन्तर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हमने मामले को जून 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

6.7 नियत लगान का नहीं/कम आरोपण

खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत अपरिचालित पट्टों पर नियत लगान के अनारोपण के परिणामस्वरूप ` 20.05 लाख के नियत लगान का नहीं/कम आरोपण हुआ।

हमने चार खनन कार्यालयों[6], में 91 पट्टों के मासिक विवरणियों के साथ माँग, संग्रहण एवं बकाया (डी.सी.बी.) पंजी की नमूना जाँच की (अगस्त 2014 एवं मार्च 2015 के बीच) और पाया कि 1,750.069 हेक्टेयर पर अवस्थित 38 पट्टों के मामले में, पट्टेधारियों ने 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान खनिजों का निष्कर्षण नहीं किया

[6] गुमला, लातेहार, लोहरदगा एवं राँची।

था और वे खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 की धारा 9 ए के प्रावधानों के अंतर्गत नियत लगान के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे। जि.ख.प. असावधान थे और उन्होंने डी.सी.बी. पंजी की आवधिक जाँच नहीं की, फलत: अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत आरोप्य ` 22.66 लाख के बदले केवल छ: मामलों में ` 2.61 लाख के नियत लगान के आंशिक माँग का सृजन किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप ` 20.05 लाख के नियत लगान का नहीं/कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा मामले को इंगित किये जाने (अगस्त 2014 एवं मार्च 2015 के बीच) के बाद, जि.ख.प. ने कहा कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जायेगी। तदंतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हमने मामले को जून 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

6.8 अवैध खनन के लिए दंड का आरोपण नहीं किया जाना

पट्टा समाप्ति के बाद खनिज के निष्कर्षण पर झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के प्रावधानों के अन्तर्गत दंड का आरोपण नहीं होने से ` 18.35 लाख के अर्थदंड का अनारोपण हुआ।

हमने जिला खनन कार्यालय, गुमला में पट्टा नवीकरण पंजी के साथ-साथ लघु खनिज के 33 पट्टों के पट्टा संचिकाओं की नमूना जाँच की (मार्च 2015) और पाया कि एक पट्टेधारी, जिसके पट्टे की वैधता जुलाई 2008 में समाप्त होनी थी, ने निर्धारित अवधि के अन्दर नवीकरण के लिये आवेदन दिया था। इस प्रकार, इस पट्टे की विस्तारित वैधता अक्टूबर 2008 तक विस्तारित थी जैसा कि झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियमावली, 2004 के नियम 23(2)(ई) के प्रावधानों में दिया गया है। आगे, माँग संचिका, उत्पादन एवं प्रेषण (आर. एवं डी.) पंजी तथा डी.सी.बी. पंजी से यह उद्घटित हुआ कि पट्टेधारी ने पट्टे की विस्तारित वैधता समाप्त हो जाने के बाद (फरवरी 2009 एवं मार्च 2015 के बीच) 6,510.94 घन मीटर पत्थर का उत्पादन एवं प्रेषण किया (फरवरी 2009 एवं मार्च 2015 के बीच), इस प्रकार, इसने नियम 54(8) के अंतर्गत अवैध खनन के प्रावधानों को आकर्षित किया। इस तरह, भूतपूर्व पट्टाधारी प्रेषित मात्रा पर स्वामिस्व सहित ` 21.81 लाख के अर्थदंड के भुगतान के लिये उत्तरदायी था। जि.ख.प. ने नवीकरण आवेदन पंजी के साथ-साथ माँग संचिका, आर.एवं डी. पंजी तथा डी.सी.बी. पंजी के अनुश्रवण पर ध्यान नहीं दिया एवं ` 21.81 लाख के अर्थदंड

के बदले ` 3.46 लाख के स्वामिस्व का आरोपण किया, जिसके परिणामस्वरूप ` 18.35 लाख के अर्थदंड का अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा मार्च 2015 में मामले को इंगित किये जाने के बाद, स.ख.प. ने कहा कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जायेगी। तदंतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हमने मामले को जून 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

6.9 बालू घाट के लिये बंदोबस्ती राशि की कम वसूली

झारखण्ड लघु खनिज समानुदान (झा.ल.ख.स.) संशोधन नियमावली के अन्तर्गत बालू घाट के दो बंदोबस्तधारियों से सूद सहित नीलामी राशि ` 17.72 लाख वसूल नहीं की जा सकी।

हमने जिला खनन कार्यालय, गोड्डा में बालू घाट की बंदोबस्ती से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच की (फरवरी 2015) और पाया कि उच्च डाकवक्ताओं के पक्ष में दो बालू घाट क्रमश: ` 28.57 लाख एवं ` 25.32 लाख की बंदोबस्त राशि पर जून 2011 से मार्च 2014 की अवधि के लिये बंदोबस्त किये गये (जून 2011)। आगे, यह देखा गया कि बंदोबस्तधारियों ने कुल बकाया राशि ` 53.89 लाख के विरूद्ध ` 38.29 लाख का भुगतान किया। जि.ख.प., झा.ल.ख.स. संशोधन नियमावली, 2010 के नियम 12 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अवशेष राशि ` 15.60 लाख का माँग सृजन करने में विफल रहे। साथ ही, बंदोबस्ती के शर्त्तों एवं बंधेजों के अनुसार बंदोस्तधारी शेष राशि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ` 2.12 लाख के ब्याज के भुगतान के लिये भी उत्तरदायी थे।

हमारे द्वारा फरवरी 2015 में इंगित किये जाने के बाद, सहायक खनन पदाधिकारी (स.ख.प.) ने कहा कि नियमावलियों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हमने मामले को जून 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

6.10 मासिक विवरणियों को नहीं/विलम्ब से समर्पित करने के लिए अर्थदंड का अनारोपण

झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के प्रावधानों के अन्तर्गत लघु खनिज के पट्टेधारियों द्वारा मासिक विवरणियों के नहीं/विलम्ब से समर्पित करने लिये ` 7.01 लाख के दण्ड का अनारोपण।

हमने चार खनन कार्यालयों[7] में लघु खनिज के 155 पट्टेधारियों के मासिक विवरणियों, आर. एण्ड डी. पंजी तथा डी.सी.बी. पंजी की नमूना जाँच की (सितम्बर 2014 एवं मार्च 2015 के बीच) और पाया कि 28 पट्टेधारियों ने 2009-10 से 2013-14 के दौरान 198 मासिक विवरणियाँ समर्पित नहीं की और 104 मासिक विवरणियों को 12 दिन से 53 महीनों के विलम्ब से जमा किया। जि.ख.प. प्रत्येक मासिक विवरणी के लिये झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 41(3) एवं 42(2) के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं/देर से जमा किये गए प्रत्येक मासिक विवरणी के लिये ` 20 प्रति विवरणी प्रतिदिन की दर से, अधिकतम ` 2500 प्रति विवरणी की दर से ` 7.01 लाख के दण्ड का आरोपण करने में विफल रहे।

मामले को इंगित किये जाने (सितम्बर 2014 एवं मार्च 2015 के बीच) के बाद, जि.ख.प./स.ख.प. ने कहा कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)

हमने मामले को जून 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

[7] चाईबासा, दुमका, पाकुड़ एवं साहिबगंज।

सदृश मामला 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका ` 7.4.14 में उठाया गया था। सरकार ने बताया कि ` 2.28 लाख के लिए माँग का सृजन किया गया यद्यपि, त्रुटियों/अनियमितताओं की प्रकृति अभी भी जारी है, जो राजस्व के आवर्त्ती रिसाव को रोकने में विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अप्रभावशीलता को दर्शाती है।

(एस. रमन)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
झारखण्ड

राँची
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक